# न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 85/अ-20(3)/2023-24

**आदेश**

( दिनांक 16 नवम्बर 2024 को पारित )

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2024 को प्रस्तुत कर ग्राम पाडल तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 631 रकबा 39.160 हेक्टेयर में से 32.21 हेक्टेयर भूमि की मांग धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है।

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार से करवायी गयी। प्रकरण में कार्यालयीन पत्र एच आर नंबर 168 दिनांक 27/02/2024 से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया।कार्यालयीन पत्र एच आर नंबर 174 दिनांक 27/02/2024 के द्वारा संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश जिला कार्यालय उज्जैन, कनिष्ट यंत्री मध्यप्रदेश वि.वि कम्पनी जयसिंहपुरा, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग आगर, हल्का पटवारी एवं संरपंच/सचिव ग्राम पंचायत कांगनीखेड़ा को पत्र जारी कर अनापत्ति चाही गई। कार्यालय सहायक यंत्री म.प्र.प.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमिटेड जयसिंहपुरा द्वारा पत्र क्रमांक/क.य./जयसिंहपुरा/कार्य./2023-24/31 दिनांक 12/04/2024 से अनापत्ति दी गई है।ग्राम पंचायत कांगनीखेड़ा द्वारा ठहराव प्रस्ताव के साथ पत्र प्रेषित कर आवेदित सर्वे नंबर 631 रकबा 39.160 हे. मे गौशाला निर्मित होने के कारण भूमि के आवंटन में आपत्ति दर्ज कराई गई है एवं भूमि आवंटन नही किये जाने का लेख किया है। संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय उज्जैन, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग आगर से प्रकरण में प्रतिवेदन दिनांक तक कोई अभिमत प्रस्तुत नहीं किया गया।कार्यालय वनमंडलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल शाजापुर मध्यप्रदेश के द्वारा पत्र क्रमांक/मा.चि./2023/2360 शाजापुर दिनांक 06/06/2023 के द्वारा आवेदित सर्वे नंबरो को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना लेख किया है। पटवारी पाडल द्वारा प्रतिवेदन में लेख किया है कि ग्राम पाडल स्थित भूमि आवेदित सर्वे नंबर 631 रकबा 39.160 हेक्टेयर मिसल बंदोबस्त अनुसार नाकाबिल कास्त मद एवं वर्तमान खसरा अभिलेख में काबिल कास्त पहाड़ मद दर्ज अभिलेख है। वर्तमान मौका अनुसार आवेदित सर्वे नंबर मे गौशाला निर्मित है, जिसमें 70- 75 गौवंश रहते है और चरते है। मौका पंचनामा अनुसार ग्रामिणो द्वारा उक्त सर्वे नंबर गौवंश के चरने हेतु सुरक्षित रखने तथा भूमि आवंटन से असहमति दर्ज कराई है। पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रारूप 5 में भूमि पर किसी प्रकार की जल संरचना हाइटेंशन लाईट, श्मशान, कब्रस्तान नही होना लेख किया है। धार्मिक स्थान के रूप में गौशाला के नजदीक हनुमान मंदिर निर्माणाधिन होना बताया है तथा ग्राम मे चरनोई का कुल रकबा 49.940 हेक्टेयर आरक्षित होना लेख किया है।पटवारी प्रतिवेदन संलग्न मिसल बंदोबस्त की नकल एवं वर्तमान खसरा अभिलेख अनुसार आवेदित सर्वे नंबर 631 रकबा 39.160 में से 32.210 हेक्टेयर मिसल बंदोबस्त अनुसार नाकाबिल कास्त मद में तथा वर्तमान खसरा अभिलेख में काबिल कास्त व पहाड मद मे दर्ज है। जिसके आवंटन से ग्राम के चरनोई हेतु आरक्षित रकबा प्रभावित नही होता है।ग्राम पंचायत एवं हल्का पटवारी के प्रतिवेदन अनुसार सर्वे नंबर 631 में आवंटन हेतु आवेदित रकबा 32.210 हेक्टेयर के अंदर दक्षिण पश्चिम भाग पर गोशाला निर्मित है। जिसके आवंटन होने से निर्मित गोशाला एवं उसमे निवासरत पशुधन के चराई की समस्या होने की संभावना है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए एवं आवेदित सर्वे नंबर चरनोई मद का नहीं होने के कारण आवेदित रकबा में से 5.000 हेक्टेयर घटाकर निर्मित गोशाला तथा पशुओ की चराई हेतु सुरक्षित रखते हुए शेष रकबा 27.210 हेक्टेयर का आवंटन किया जाना

प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त पटवारी प्रतिवेदन अनुसार ग्राम में 49.94 हेक्टेयर भूमि चरनोई हेतु आरक्षित है।आवंटन हेतु प्रस्तावित रकबे का ग्राम पाडल का कलेक्टर गाईड लाइन वर्ष 2024-25 के अनुसार सिंचित प्रति हेक्टेयर का मूल्य 9,69,600/- रूपये के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि मान से आवंटन हेतु प्रस्तावित रकबा 27.210 हेक्टेयर भूमि के मूल्य का निर्धारण 4,22, 12,506/- (चार करोड़, बाईस लाख बारह हजार पांच सौ छः रूपये मात्र) होता है। नायब तहसीलदार झोंटा द्वारा ग्राम पाडल तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 631 रकबा 39.160 हेक्टेयर में से 27.210 हेक्टेयर भूमि आवेदन के परिपेक्ष में वन विभाग को आवंटित किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी आगर- बड़ौद जिला आगर मालवा को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 . को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम पाडल तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 631 रकबा 39.160 हेक्टेयर में से 27.210 हेक्टेयर भूमि को धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ ग्राम पंचायत कांगनीखेडा तहसील बडौद द्वारा पारित ठहराव प्रस्ताव दिनांक 08.06.2024 को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का निर्णय लिया गया है। नायब तहसीलदार झोंटा द्वारा ग्राम पंचायत की आपत्ति के निराकरण के संबंध में आवेदित रकबा से 5.00 हेक्टेयर घटाकर निर्मित गौशाला तथा पशुओं की चराई हेतु सुरक्षित रखी है। अत: ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति निराधार होने से निरस्त की जाती है।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम पाडल तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 631 रकबा 39.160 हेक्टेयर में से 27.210 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार ग्राम पाडल तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 631 रकबा 39.160 हेक्टेयर में से 27.210 हेक्टेयर भूमि पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण निर्धारण 4,22, 12,506/- (चार करोड़, बाईस लाख बारह हजार पांच सौ छः रूपये मात्र) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है:-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेंगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेंगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होंगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेंगा।

6/ नायब तहसीलदार झोंटा, की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध में निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

16/11/24

(राघवेन्द्र सिंह)
जिला आगर मालवा (म.प्र.)
जिला आगर मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2024/438 आगर मालवा, दिनांक 16/11/2024

प्रतिलिपि :-

1. वनमंण्डलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार झोंटा, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

16/11/24

कलेक्टर
जिला आगर मालवा (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

**खसरा**

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

| ग्राम:पाड़ल | | | पटवारी हल्का:कॉगनीखेडा | | | तहसील:बड़ौद | | | जिला:आगर-मालवा | | वर्ष: 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भूमि के भाग की यूनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)<br>2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है<br>3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता<br>2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता<br>2. पट्टे की अवधि<br>3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार<br>1. बंधक<br>2. दृष्टिबंधक<br>3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यौरे<br>फसल<br>1. खरीफ<br>2. रबी<br>3. जायद<br>4. अन्य | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति<br>2. भूमि पर संरचना /वृक्ष<br>3. अन्य अभियुक्तियाँ<br>4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1611836504<br>81LQDFD8SY3DH0 | 631/2<br>(S) | | 27.2100<br>हेक्टेयर<br>रु.0.00 | (शासकीय)<br>वन विभाग मध्यप्रदेश शासन<br>शासकीय संस्था | 1 | | | | | | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0085/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 16/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट